

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया सहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 106/2025

1 हरबल सिंह पुत्र जरनैल सिंह
2 गुरजन्त सिंह पुत्र जरनैल सिंह
3 सुखमदर सिंह पुत्र जरनैल सिंह

जाति जटसिख साकिन
संतपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

- 1 जरनैल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया।
- 2 मनप्रीतकौर पुत्री जरनैल सिंह पत्नी बुटासिह जाति जटसिख साकिन गुमथाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
- 3 रछपालकौर पुत्री जरनैल सिंह पत्नी गुरदत्त सिंह जाति जटसिख साकिन बजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 4 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री औमप्रकाश शर्मा खोसा वकील वादीगण भिन जामिन मुदई श्री जे.के. बाथम वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 2 केएसडी के खाता संख्या 60/46 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074, व चक 2 केएसडी के खाता संख्या 61/50 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 एव चक 2 केएसडी के खाता संख्या 62/52 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 मे प्रतिवादी संख्या 1 जरनैल सिंह पुत्र जगराज सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुक्किक निल बाबत निल खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.4.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया